यूपी में सरकार व चीनी मिल मालिकों में टकराव की स्थिति

प्रेट्र • लखनऊ

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य को लेकर राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के बीच तनातनी और बढ़ गई है। दोनों पक्षों के बीच दूसरे दिन भी इस मसले पर कोई मान्य समझौता नहीं हो पाया। उधर, मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ने सरकार के निर्देश के बावजूद गन्ने की पेराई शुरू न करने के लिए तीन मिलों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करा दिए हैं और उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।

नए मार्केटिंग सीजन 2013-14 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 280 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर रखने का फैसला किया है। दूसरी ओर मिल मालिक 225 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा मूल्य देने को तैयार नहीं है। बुधवार को दूसरे दिन चीनी मिलों की राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऊंचे गन्ना मूल्य के विरोध में मिल मालिकों ने पेराई शुरू नहीं की है। इससे देश में चीनी का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। मौजूदा स्थिति में किसानों को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें गन्ने का कम मूल्य मिल रहा है। वे गन्ने की कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग सूत्रों का कहना है कि मिलें पहले से भारी घाटे से जूझ रही हैं। उन पर पिछले साल का ही किसानों का 2400 करोड़ रुपये भुगतान बकाया है। बैंकों ने अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज देने से मना कर दिया है। इस वजह से मिलें 280 रुपये मूल्य देने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार गन्ने का मूल्य पिछले साल से कम करने को तैयार नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार मिलों को वित्तीय पैकेज देने की तैयारी कर रही है। इसमें ब्याज मुक्त कर्ज शामिल है।

प्राइवेट मिलों के एक प्रतिनिधि ने बैठक के बाद बताया कि राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और निजी मिलों के मालिकों के बीच करीब डेढ़ घंटे बातचीत हुई। लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्य सचिव ने पेराई शुरू करने के लिए कहा लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। ज्यादातर निजी मिलों ने पहले ही अपना कामकाज बंद करने की घोषणा कर दी है। घाटे से उबरने के लिए समुचित पैकेज के बिना मिलें कामकाज शुरू नहीं करना चाहती हैं।

दूसरी ओर, मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि सरकार के निर्देश के बावजूद गन्ने की पेराई शुरू न करने के लिए तीन मिलों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। मंसूरपुर, खतौली और तितवाड़ी की चीनी मिलों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि मिल मालिकों की जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि ऐसे कदम से स्थिति और पेचीदा हो जाएगी। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में एसोसिएशन ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर तरुण साहनी और धामपुर शुगर मिल्स के गौतम गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का विरोध प्रकट किया है। मांग की गई है कि मिल मालिकों के खिलाफ केस तुरंत वापस लिये जाएं जिससे स्थिति और पेचीदा न हो। चुनिंदा प्रमोटरों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई बंद की जाए। सभी मिलों के प्रमोटर इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। यहां 99 निजी मिलें चल रही हैं और करीब 40 लाख किसान गन्ना उगाते हैं।

Business Bhaskar

28/11/13